

दिनांक:—29.07.2019

प्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या उपस्थित प्रार्थीया स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहती प्रार्थीया की पुत्री व अप्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीया की पहचान श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील ने की। प्रार्थीया के स्वयं निवेदन पर प्रार्थना-पत्र भरण पोषण जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरदाखिल दफतर हो।